न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 170/2009

वादीगण :—

1. घीसी देवी पुत्र चुनाराम के का.मु.
   1/1 रामचन्द्र पुत्र खींवाराम
   1/2 धनराज पुत्र खींवाराम के कायम मुकाम
   1/2/1 सतीया पत्नी धनराज
   1/2/2 अशोक कुमार पुत्र धनराज जाति माली निवासी बेरा नोकड़ा, सोजत सिटी
   1/2/3 मंजू पुत्री धनराज पत्नी प्रेमचंद जाति माली निवासी चांदपोल गेट के अंदर, सोजत
   1/2/4 सोनूदेवी पुत्री धनराज पत्नी जितेन्द्र जाति माली निवासी पावटी का बास, सोजत सिटी
   1/2/5 कौशल्या पुत्री धनराज पत्नी इन्द्रजीत जाति माली निवासी बेरा गोरवा, सोजतसिटी
   1/3 बाबुलाल पुत्र खींवाराम
   1/4 सोहनलाल पुत्र खींवाराम जाति माली निवासी सोजतसिटी
2. दाखुदेवी पुत्री चुनाराम
3. हेमीदेवी पुत्री चुनाराम जाति माली निवासी सोजत सिटी

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. मांगीलाल पुत्र गुलाराम
2. मोहनलाल पुत्र गुलाराम
3. भंवरलाल पुत्र केसाराम जातिगण माली निवासीगण बेरा रेतिया, सोजतसिटी
4. गोपाराम पुत्र केसाराम
5. नारीया उर्फ नाराराम पुत्र चुनाराम
6. आईदान पुत्र चुनाराम
7. देवीया पुत्र तुलजा के कायम मुकाम
   7/1 लक्ष्मण पुत्र देवीया
   7/2 गीता पुत्री देवीया
   7/3 नेनी देवी पत्नी वेलाराम
   7/4 श्याम पुत्र वेलाराम
   7/5 प्रेम पुत्री वेलाराम
   7/6 सीता पुत्री वेलाराम
   7/7 होनी पुत्री वेलाराम
8. हिमता पुत्र उरजा के कायम मुकाम
   8/1 चौथी देवी पत्नी शंकर
   8/2 मांगीलाल पुत्र शंकर
   8/3 लुम्बाराम पुत्र शंकर
   8/4 ढगलाराम पुत्र शंकर
9. राउराम पुत्र मुलाराम के कायम मुकाम
   9/1 विद्यादेवी पत्नी राउराम
   9/2 कुनाराम पुत्र राउराम
   9/3 सोहनलाल पुत्र राउराम
   9/4 राजूराम पुत्र राउराम
   9/5 सत्या पुत्री राउराम जातिगण माली निवासीगण बेरा रेतिया, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
   (मूल वाद में प्रतिवादी संख्या 09 मुलिया पुत्र उरजा का स्वर्गवास हो चुका है, जिसका कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 10 राउराम पुत्र मूलाराम है, जो पूर्व में वाद में प्रतिवादी संख्या 10 राउराम पुत्र मूलाराम है, जो पूर्व में वाद में प्रतिवादी संख्या 10 था जिसका भी स्वर्गवास हो चुका है, जिसके बतौर विधिक उतराधिकारी 9/1 लगायत 9/5 है।)
10. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

उपस्थितिः–

1. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्तागण वादी उपस्थित।
2. श्री अभिषेक ओझा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 06 उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 30/10/2025

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तह0 सोजत के, भाग (अ) खसरा नंबर 2157 रकबा 0.0600 है0, ख0नं0 2158 रकबा 0.1500 है0, खसरा नंबर 2159 रकबा 0.2000 है0, खसरा नंबर 2160 रकबा 0.1200 है0, खसरा नंबर 2161 रकबा 0.0700 है0, खसरा नंबर 2162 रकबा 0.0900 है0, खसरा नंबर 2163 रकबा 0.1400 है0, खसरा नंबर 2164 रकबा 0.1300 है0, खसरा नंबर 2165 रकबा 0.1000 है0, खसरा नंबर 2166 रकबा 0.2000 है0, खसरा नंबर 2167 रकबा 0.0800 है0, खसरा नंबर 2212 रकबा 0.1200 है0, खसरा नंबर 2213 रकबा 0.0200 है0 कुल खसरा 13 कुल रकबा 1.4800 है0 भाग (ब) खसरा नंबर 2149 रकबा 0.2200 है0, खसरा नंबर 2153 रकबा 0.3700 है0, खसरा नंबर 2154 रकबा 0.2100 है0, खसरा नंबर 2155 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 2156 रकबा 0.1900 है0, खसरा नंबर 2204 रकबा 0.1800 है0, खसरा नंबर 2205 रकबा 0.1500 है0, खसरा नंबर 2150 रकबा 0.0200 है0, खसरा नंबर 2151 रकबा 0.0700 है0, खसरा नंबर 2152 रकबा 0.0200 है0 कुल खसरा 10 कुल रकबा 1.46 है0, भाग (स) खसरा नंबर 2253 रकबा 0.3200 है0, खसरा नंबर 2254 रकबा 0.1000 है0, खसरा नंबर 2255 रकबा 0.0600 है0, खसरा नंबर 2256 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 2257 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 2258 रकबा 0.0900 है0, खसरा नंबर 2259 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 2260 रकबा 0.0600 है0, खसरा नंबर 2261 रकबा 0.0600 है0, खसरा नंबर 2262 रकबा 0.0900 है0, खसरा नंबर 2263 रकबा 0.2000 है0, खसरा नंबर 2264 रकबा 0.2600 है0, खसरा नंबर 2265 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 2266 रकबा 0.1000 है0, खसरा नंबर 2269 रकबा 0.1300 है0, खसरा नंबर 2270 रकबा 0.3300 है0, खसरा नंबर 2271 रकबा 0.3000 है0, खसरा नंबर 2272 रकबा 0.1400 है0, खसरा नंबर 2273 रकबा 0.2600 है0, खसरा नंबर 2274 रकबा 0.2600 है0, खसरा नंबर 2275 रकबा 0.0800 है0, खसरा नंबर 2276 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 2277 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 2278 रकबा 0.0900 है0, खसरा नंबर 2279 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 2280 रकबा 0.2900 है0, खसरा नंबर 2267 रकबा 0.0300 है0, खसरा नंबर 2268 रकबा 0.1800 है0 कुल खसरा 28 कुल रकबा 3.78 है0 की कृषि भूमि स्थित है। जिसके सैटलमेंट से पूर्व के खसरा नंबर 256/18 रकबा सवा पांच बीघा दो बिस्वा, खसरा नंबर 256/18/1 रकबा पौन बीघा एक बिस्वा, खसरा नंबर 256/20 रकबा ढाई बीघा चार बिस्वा कुल खसरा 03 कुल रकबा पौने आठ बीघा दो बिस्वा, खसरा नंबर 226/1 रकबा तीन बीघा दो बिस्वा, खसरा नंबर 226/2 रकबा डेढ बीघा चार बिस्वा, खसरा नंबर 226/3 रकबा आधा बीघा, खसरा नंबर 226/4 रकबा आधा बीघा दो बिस्वा, खसरा नंबर 226/5 रकबा पांच बीघा तीन बिस्वा, खसरा नंबर 226/6 रकबा एक बीघा दो बिस्वा, खसरा नंबर 226/7 रकबा आधा बीघा चार बिस्वा,

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

खसरा नंबर 226/8 रकबा सवा चार बीघा तीन बिस्वा, खसरा नंबर 226/9 रकबा पाव बिस्वा खसरा नंबर 226/10 रकबा सवा बीघा चार बिस्वा, खसरा नंबर 226/11 रकबा पौन तीन बीघा दो बिस्वा कुल खसरा 11 कुल रकबा पौने बाईस बीघा एक बिस्वा, खसरा नंबर 296/30 रकबा पाव बीघा एक बिस्वा, खसरा नंबर 256/15 रकबा एक बीघा चार बिसवा, खसरा नंबर 256/19 रकबा साढे सात बीघा एक बिस्वा कुल खसरा तीन कुल रकबा नौ बीघा एक बिस्वा, खसरा नंबर 259 कुल रकबा दो बीघा तीन बिस्वा, खसरा नंबर 259/1 रकबा आधा बीघा कुल खसरा 2 कुल रकबा ढाई बीघा तीन बिस्वा उपरोक्त भाग (अ) व भाग (ब) वर्णित कृषि भूमि व बेरों में चुनीया उर्फ चुनाराम का एक बट्टा तीन हिस्सा खातेदारी का था व भाग (स) में वर्णित कृषि भूमि व बेरे में चुनाराम का एक बट्टा चार हिस्सा खातेदारी का था। चुनाराम की मृत्यु हुई तब उसके प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारीगण में उसकी पुत्रीया, घीसीदेवी, दाखुदेवी व हेमीदेवी जो वादीगण है मौजूद थी व प्रतिवादी संख्या पांच नारीया व प्रतिवादी संख्या छः आईदान चुनाराम के पुत्र है। चुनाराम की मृत्यु होते ही उसके हिस्से की कृषि भूमि में केसरीदेवी का एक बट्टा छः हिस्सा वादीगण प्रत्येक का व प्रतिवादी संख्या पांच व छः का प्रत्येक का एक बट्टा छः हिस्सा खातेदारी का निहित हुआ। केसरीदेवी की भी मृत्यु होते ही उसका भी वादीगण व प्रतिवादी संख्या पांच व छः में निहित हुआ। जिससे वादग्रस्त भूमि में चुनाराम का जो हिस्सा था उसमें वादीगण प्रत्येक का एक बट्टा पांच हिस्सा हक हकुक खातेदारी का हुआ व प्रतिवादी संख्या पांच व छः प्रत्येक का एक बट्टा पांच हिस्सा खातेदारी का हुआ। इस प्रकार भाग (अ) व (ब) में सम्पूर्ण वर्णित कृषि भूमि में चुनाराम का एक बट्टा तीन हिस्सा खातेदारी का था जिससे भाग (अ) व (ब) की भूमि में वादीगण प्रत्येक का एक बट्टा पन्द्रह हिस्सा यानि वादग्रस्त कृषि भूमि भाग (अ) व (ब) में वादीगण का एक बट्टा पांच हिस्सा खातेदारी का है प्रतिवादी संख्या पांच व छः का भाग (अ) व (ब) की भूमि में कुल दो बट्टा पांच हिस्सा खातेदारी का था। भाग (स) की भूमि मे चुनाराम का एक बट्टा चार हिस्सा खातेदारी का था जिससे वादीगण प्रत्येक का एक बट्टा बीस हिस्सा अर्थात् तीनों वादीगण का तीन बट्टा बीस हिस्सा खातेदारी का है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या पांच व छः का कुल एक बट्टा दस हिस्सा खातेदारी का है, चुनाराम की मृत्यु के पश्चात वादस्थ भूमि में मात्र प्रतिवादी संख्या पांच व छः नारीया, आईदान बेटा चुनिया नाबालिग जरीये माता केसरी दर्ज कर दिया गया जबकि वादीगण चुनाराम की मृत्यु के पश्चात चुनाराम के उत्तराधिकारीगण की हैसियत से काबिज काश्त है और उक्त भूमि में वर्णित हिस्से अनुसार उनकी खातेदारी कब्जे काश्त की है। राजस्व रेकर्ड में इन्द्राजात सही नहीं हाने से वादीगण ने प्रतिवादी संख्या पांच व छः को रेकर्ड दुरूस्त करवाकर उनका नाम अंकित करवाने बाबत दिनांक 28.05.09 को कहा तो प्रतिवादीगण अस्वीकार हो गये अब दिनांक 10.07.09 को प्रतिवादी संख्या पांच व छः ने वादीगण को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की धमकी दी है जिससे यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर वादस्थ कृषि भूमि व बेरे भाग (अ) व भाग (ब) में कृषि भूमि व बेरे में वादीगण का एक बट्टा पांच हिस्सा खातेदारी का व भाग (स) में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि व

उपखण्ड अधिकारी
सांगानेर (राज.)

बेरे में वादीगण का तीन बट्टा बीस हिस्सा खातेदारी का घोषित किये जाने तथा वादस्थ भाग (अ) व भाग (ब) में वर्णित कृषि भूमि व बेरे में वादीगण का एक बट्टा पांच हिस्सा व भाग (स) में वर्णित वादग्रस्त भूमि में वादीगण का तीन बट्टा बीस हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस अलग कर वादीया के हक हिस्से में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी करने से प्रतिवादी गण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस तलब किया गया। दिनांक 18.03.2010 को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 बावजूद तामिली बार बार आवाजें दिलाई जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 06 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार आशिया ने वकालतनामा पेश किया, सामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रतिवादी संख्या 06 आईदान पुत्र चुन्नाराम की ओर से जवाब दावा मय मुजराई दावा पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा सोजत चक एक में अवश्य आई हुई है। वादग्रस्त आराजी के भाग ''अ'' में वर्णित आराजी में प्रतिवादी नाहरिया व आईदान का 1/4 हक हिस्सा है तथा भाग ''ब'' में वर्णित आराजी में प्रतिवादी नाहरिया व आईदान का 1/3 हक हिस्सा है तथा भाग ''स'' में वर्णित आराजी में प्रतिवादी नाहरिया व आईदान का 1/4 हक हिस्सा है। वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादीगण व प्रतिवादी नाहरिया व आईदान के पिता चुन्नाराम का स्वर्गवास आज से करीब 53 वर्ष पूर्व हुआ है। तब से लेकर आज तब वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादीगण की शादियां होने के बाद से लगातार वो अपने ससुराल में निवास करती है। वादीगण का यह लिखना गलत है कि दिनांक 28.05.2009 या 10.07.2009 को वादीगण ने प्रतिवादीगण से राजस्व रेकर्ड में उनका नाम इन्द्राज कराने की बात कही हो, का तथ्य बिल्कुल गलत है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या पांच व छः की माता केसरी के मृत्यु के पश्चात् जो केसरी के जेवरात थे, वो प्रतिवादी ने तीनो बहिनों यानि वादीगण को बराबर–बराबर हिस्से में दे दिया। क्योंकि वादीगण का मृतक चुनाराम की वादग्रस्त आराजी में कोई हक हिस्सा नहीं होना उन्होंने स्वीकार कर दिया था। इस प्रकार पुरा पैरा गलत होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त आराजी की बीघोड़ी भी आज दिनतक प्रतिवादी अदा करता आया है। वादपत्र के पैरा संख्या पूरा गलत होने से अस्वीकार है, वादग्रस्त आराजी पर पिछले 50 वर्षो के ज्यादा समय से वादीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है। इसलिये उन्हे लाठी–लकड़ी के जोर से बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है और वादीगण को कोई अपूरणीय क्षति भी नहीं हो रही हैं। पिछले 50 वर्षो से लगातार निरन्तर शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी का ही है। इसलिये प्रतिवादी बाई लॉ ऑफ एडवर्स प्रजेशन से वादग्रस्त आराजी का मालिक हो चुका है और वादीगण अपने मालिकाना अगर कोई हक है तो वो खो चुके है। वाद–पत्र का पैरा संख्या तीन गलत होने से अस्वीकार है। वादपत्र में प्रतिवादी संख्या सात देवीया पुत्र तुलसा का स्वर्गवास हुए करीब 35 वर्ष हो चुके है व हिम्मता, मूलिया पिसरा उरजा दोनो भाईयों का स्वर्गवास हुए करीब 40 वर्ष का समय हो चुका है तथा राजाराम पुत्र मुला का स्वर्गवास हुए करीब 5 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। इस प्रकार मौजूदा वाद मृत व्यक्तियों

के विरूद्ध होने से काबिल खारीज के है और जब तक मृतक व्यक्तियों के विधिक वारिशान को वाद हाजा में पक्षकार दर्ज नहीं कर दिये जाते है। तब तक मौजूदा वाद चल नहीं सकता है। वाद पत्र के पैरा संख्या चार गलत होने से अस्वीकार है। चुन्नाराम की मृत्यु के पश्चात् आज तक वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं रहा है और न ही दिनांक 28.05.2009 को वादीगण ने प्रतिवादी को नाम बाबत त्रुटि दुरूस्त कराने का कहा। इसलिये बगैर बिनाय दावा के वाद काबिल खारिज के है। वादपत्र का पैरा संख्या पांच काबिल घौर अदालत वाला के है। वादपत्र का पैरा संख्या छः वादीगण की ईश्तदुआ है, माफिक ईश्तदुआ वादीगण वादग्रस्त आराजी बाबत घोषणा की डिक्री, बंटवाड़ा की डिक्री एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने के अधिकारी नहीं है। और न ही वादग्रस्त आराजी में खुदे बेरे पर से पानी ले जाने के लिये नाम डलवाने के ही अधिकारी है। वद मय खर्चा हर्जा के खारिज फरमया जावे।

काउण्टर क्लेम :– वादपत्र के पैरा संख्या एक से वर्णित वादग्रस्त आराजी के खातेदार चुनाराम के स्वर्गवास के पश्चात् से यानि करीब 53 वर्षो से प्रतिवादी आईदान के हक हिस्से की भूमि पर आईदान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी नाहरिया के हक हिस्से की भूमि पर नारिया का कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी पर पिछले 50 वर्षो के लम्बे समय से प्रतिवादी का खुल्लम–खुल्लम शान्ति पूर्वक बिना किसी बाधा के निरन्तर कब्जा काश्त है। जो वादीगण के ध्यान में है। इसलिये बाई लॉ ऑफ एडवर्स पजेशन से प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी का मालिक है। क्योकि वादीगण कब्जे से बाहर है, और 50 वर्षो के लम्बे समय के बाद अपने हकूको की घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रतिवादी के विरूद्ध पाने के अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी रेकर्डेड खातेदार है, और मौके पर काबिज होने से आज प्रथम दृष्टया ठौस मजबूत केस प्रतिवादी के हक में है और अगर मौजूदा वाद के जरिये प्रतिवादी को बेदखल किया जाता है। तो उसे भारी आर्थिक नुकसान होगा, जिसका मुल्यांकन कदापि रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। इसलिये जवाबदावा मुजराई दावा के रूप में पेश कर निवेदन है कि वादीगण को प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक प्रतिवादीगण एवं विरूद्ध वादीगण के जारी की जाय। जिस हेतु मुकर्ररा कोर्ट फीस जवाबदावा पर पेश है। वाद हाजा मृत व्यक्तियों देवीया पुत्र तुलसा, हिम्मता, मूलिया पिसरान उरजा तथा राउराम पुत्र मूला के विरूद्ध पेश किया गया है, जो काबिल खारिज के है। चुन्नाराम ने अपने जीवनकाल में ही वादीगण की शादिया कर दी थी, और उन्हे रोकड़ रूपये और सोन–चांदी के जेवरात वक्त शादी समाज के रीति–रिवाज के अनुसार दे दिये गये थे। लेकिन उसके पश्चात् भी प्रतिवादी ने वादीनी घीसी के पुत्र रामचन्द्र, धनिया, बाबू तथा सोहन की शादियों में करीब 25000 रूपये रोकड़ खर्च किये तथा तीन तोला सोना व दो गाये भेजी और घीसी के ससुराल में चौथा, घीसु व पुकली के मरणोपरान्त भी प्रतिवादी ने खर्चा किया, जिससे करीब 20 वर्ष का लम्बा समय गुजर चुका है और वादीनी ने जब पुनाराम से मौल भूमि खरीदी तब भी रोकड़ रूपयो के रूप में मदद की थी, और इसी प्रकार वादीनी दाखू की चारो पुत्रिया घेवरी, शान्ति, कमली तथा सोवनी की शादी में व दोनो पुत्रो माणक व धरमाराम की शादी में करीब 25000 रूपये खर्च किये व करीब पांच–पांच तोला सोना दिया, व दाखू के सास–ससूर व जेठ की मृत्यु पर भी

सोजत (राज.)

जाति–रिवाज के अनुसार आज से करीब 17 वर्ष पूर्व उपरोक्त बताये खर्च किये है। इसी प्रकार वादीनी हेमी की दोनो पुत्रिया जसोदा व पुष्पा तथा लडके प्रेम व लक्ष्मण की शादियो में 25000 रूपये खर्च किये व पांच तोला सोना दिया तथा दादी सासू की मृत्यु पर भी प्रतिवादी ने काफी खर्चा किया है। तब वादीगण ने कहा कि हमे हमारे पिता चुन्नाराम की अचल सम्पति में से कोई हक हिस्सा नहीं चाहिये, क्योंकि हम बहन सवासणी है, जो हांती की हकदार है, पांती की नही। आप भाईयो ने हमारे समय–समय पर औणे–टोणे में बहुत खर्चा कर दिया है, अब वादीगण अपने ससुराल पक्ष के रिश्तेदारो, पुत्रो व भू–माफियो गैंग की सिखावट में आकर यह वाद झूठा पेश किया है। जो काबिल खारिज के है, भू–माफिया लोग कहते है कि खाते में नाम डलवा दो और कब्जा नहीं होगा तो भी हमे बेचान कर देना, हमारे पास गुण्डो की गैंग है, जिसके जरिये हम लाठी–लकड़ी के बल से हम जबरन कब्जा कर लेगे और इसी लालच से वादीगण ने यह झूठा दावा प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किया है। जो काबिले खारिज के है। इस प्रकार जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम के पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम विरूद्ध वादीगण के डिक्री फरमाये जाने की ईश्तदुआ की है।

जबाव काउण्टर दावाः– प्रतिदावा के पद संख्या 1 का जबाव इस प्रकार है कि वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के पिता चुनाराम के हक, हकूक, खातेदारी की कृषि भूमि थी चुनाराम के स्वर्गवास के पश्चात् उनके प्रथम श्रेणी उतराधिकारी में उनकी पुत्रिया घीसीदेवी, दाकू देवी, हेमीदेवी है जो वादी संख्या 1 घीसीदेवी, दाकू देवी व हेमीदेवी है। घीसीदेवी का स्वर्गवास हो चुका है इसलिए घीसीदेवी के प्रथम श्रेणी के वारिसान वादी संख्या 1/1 से 1/4 है। चुनाराम का निवर्सीयती स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् उक्त वादग्रस्त सम्पति संख्या अ व ब की भूमि में वादीगण का 1/5–1/5 प्रत्येक का खातेदारी, कब्जा काश्त का है तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का भी 1/5–1/5 हक हिस्सा खातेदारी का है तथा सम्पति संख्या सी की भूमि में चुनाराम का 1/4 हिस्सा खातेदारी का आता था जिससे वादीगण प्रत्येक का 1/20 अर्थात तीनो वादीगण दाकूदेवी, घीसीदेवी व हेमीदेवी का 1/20 खातेदारी का है व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का भी 1/20–1/20 वा हिस्सा खातेदारी का है। चुनाराम के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् वादस्थ कृषि भूमि में मात्र प्रतिवादी संख्या 5 व 6 नारिया व आईदान बेटा चुनीया नाबालिग जरिये माता केसरी दर्ज कर दिया जबकि वादीगण चुनाराम के निवर्सीयती स्वर्गवास हो जाने के पश्चात चुनाराम के विधिक उतराधिकारीगण की हैसियत से काबिज काश्त है तथा उक्त भूमि में वर्णित हिस्से अनुसार वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 5 व 6 ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत करके चुनाराम के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त वादस्थ कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 व 6 ने अपने नाम नामान्तकरण दर्ज करवाकर खातेदारी मे नाम दर्ज करवा दिया। प्रतिवादी संख्या 6 का यह लिखना सर्वथा गलत है कि वादग्रस्त आराजीयात पर पिछले 50 वर्षो से लम्बे समय से प्रतिवादी संख्या 6 बाई लॉ ऑफ एडवर्स पजेशनन से प्रतिवादी वादग्रस्त आराजीयात का मालिक है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार एडवर्स पेजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने

सोजत (राज.)

का कतई अधिकारी नहीं है। उक्त कृषि भूमि वादीगण की पैतृक व पुश्तैनी कृषि भूमि है जो कृषि भूमि वादीगण के पिता चुनाराम के हक हकूक खातेदारी की कृषि भूमि थी तथा चुनाराम के निवर्सीयती स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् वादीगण का उक्त वादस्थ कृषि भूमि में अपना स्वयं का हक हिस्सा सृर्जित हो चुका है लेकिन आईदान व नाराराम ने जानबुझकर वादीगण का नाम दर्ज न करवाकर अपना स्वयं का नाम दर्ज करवा दिया इसलिए वादीगण प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के विरूद्ध खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी के नाम गलत खातेदारी दर्ज है इसलिए प्रतिवादी उक्त वादस्थ कृषि भूमि का कतई रेकर्डेड खातेदार नहीं है। प्रतिवादी का यह लिखना भी गलत है कि मौके पर प्रतिवादी काबिज होने से आज प्रथम दृष्टया मजबूत केस प्रतिवादी के हक में है जबकि उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि में वादीगण का प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के बराबर हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का आता है तथा वादीगण का अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण अपना हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के बराबर हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का आता है तथा वादीगण का अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण अपना हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का किसी प्रकार की कोई अपूरर्णिय क्षति कारित नहीं हो सकती बल्कि प्रतिवादी संख्या 6 के द्वारा वादीगण को उपरोक्त कृषि भूमि से बेदखल कर देने पर वादीगण को अपूरर्णीय क्षति कारित होगी जिसका मूल्यांकन कदापि रूपयो पैसो में नहीं आंका जा सकेगा। प्रतिवादी संख्या 6 को वादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई प्रतिदावा प्रस्तुत करने हेतु बिनाय दावा उत्पन्न नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिदावे के पद संख्या 2 का जवाब इस प्रकार है कि प्रतिवादी देवीया पुत्र तुलसा, हिमता, मूलीया पिसरान उरजा तथा राहुराम पुत्र मुलाराम के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया था। प्रतिवादी को सम्मन भिजवाये जाने पर सम्मन पर फौतेदगी रिपोर्ट प्राप्त होने पर वादीगण को सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त होने पर देवीया पुत्र तुलसा, हिमता, मूलीया पिसरान उरजा व राहुराम पुत्र मुलाराम के विधिक वारीसानों को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है जो प्रार्थना पत्र भी स्वीकार किया जाकर इनके सभी विधिक वारिसानों को रेकर्ड पर लिया जाकर संशोधित शीर्षक न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है इसलिए प्रतिवादी द्वारा वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिदावे के पद संख्या 3 का जबाव इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 6 सही है कि चुनाराम ने अपने जीवनकाल में अपनी पुत्रियो का विवाह किया था लेकिन यह लिखना गलत है कि उन्हे रोकड़ रूपये व सोन चांदी के जेवरात वक्त शादी समाज के रीति रिवाज के अनुसार दे दिये गये थे। प्रतिवादी संख्या 6 का विवाह भी चुनाराम ने अपने जीवनकाल में किया था और चुनाराम ने आईदान व उसकी पत्नी को भी सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार सोने चांदी के आभुषण इत्यादि दिये गये थे इसलिए एक पिता द्वारा अपने पुत्र व पुत्रीयो का विवाह करना व विवाह के समय खर्च करना व उपहारस्वरूप कुछ भी सामान इत्यादि देना एक पिता का नैतिक कर्तव्य व धर्म है जिसकी पालना हर पिता करता है। पिता के द्वारा अपने पुत्रियो के विवाह कर देने से उनकी सम्पति में पुत्रियों के हक हिस्से पर किसी

प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। प्रतिवादी का यह लिखना भी गलत है कि प्रतिवादी ने वादीनी घीसीदेवी के पुत्र रामचन्द्र, धनीया, बाबू व सोहन की शादी में करीब 25000 रूपये रोकड खर्च किये तथा तीन तोला सोना व दो गायें भेजी, यह लिखना भी गलत है कि घीसी के ससुराल में चौथा, घीसू व पुकली के मरणोपरांत भी प्रतिवादी ने खर्चा किया जिससे करीब 20 वर्ष का लम्बा समय गुजर चुका है। प्रतिवादी का यह लिखना भी गलत है कि वादीनी ने जब पुनाराम से मोल भूमि खरीदी तब भी रोकड़ रूपयों के रूप में मदद की थी यह लिखना भी गलत है कि दाकू की चारों पुत्रीयों की शादी व दोनो पुत्रियों की शादी में 25000 रूपये खर्च व यह भी लिखना गलत है कि पांच तोला सोना दिये। प्रतिवादी का यह लिखना भी गलत है कि दाकू के सास, ससुर व जेठ की मृत्यु पर जाति रीति रिवाज के अनुसार 17 वर्ष पूर्व उक्त बताये खर्च किये है। प्रतिवादी का यह लिखना भी गलत है कि हेमी की दोनो पुत्रियों व लड़के शादी में 25000 रूपये व पांच तोला सोना दिया। यह लिखना भी गलत है कि दादी ससुर की मृत्यु पर प्रतिवादी ने काफी खर्च किया। प्रतिवादी का यह लिखना गलत है कि वादीगण ने कहा कि हमे हमारे पिता चुनाराम की अचल सम्पति में से कोई हक हिस्सा नहीं चाहिये। प्रतिवादी का यह लिखना भी गलत है वादीगण ने यह कहा हो कि उक्त सम्पति में हमारी पाती नहीं है। प्रतिवादी का यह लिखना गलत है कि भाईयो ने हमारे समय समय पर आणे व ठाने में बहुत खर्च कर दिया है अब वादीगण अपने ससुराल पक्ष के रिश्तेदारों पुत्रो व भू माफिया गैंग की सिखावट में आकर यह झुठा वाद पेश किया है जबकि उक्त वादस्थ कृषि भूमि में वादीगण का हक हिस्सा, हकूक खातेदारी कब्जा काश्त का आता है जो हिस्सा वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी होने से वादीगण ने उक्त वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी का यह लिखना सर्वथा गलत है कि वादीगण ने भू माफियाओं की सिखावट में आकर उक्त वाद प्रस्तुत किया है वादीगण का किसी भी भू माफिया से किसी प्रकार से कोई सम्पर्क इत्यादि नहीं है इसलिए प्रतिवादी का यह लिखना सर्वथा गलत है कि भू माफिया लोगों कहते है कि खाते में नाम डलवा दो कब्जा नहीं होगा तो भी हमे बेचान कर देना हमारे पास गुण्डो की गैंग है जिसके जरिये हम लाठी लकड़ी के बल पर हम कब्जा कर लेंगे इस प्रकार प्रतिवादी ने मनगढ़त व झुठे तथ्यों के आधार वादीगण के विरूद्ध बेबुनियादी आधारों पर प्रतिवादा प्रस्तुत किया है जो प्रतिदावा काबिले खारिज के है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावें में वाद कारण किस दिनांक को कब व कैसे उत्पन्न हुआ इसका कही भी अंकन नहीं है। और न ही प्रतिवादी ने अपने प्रतिदावें में वाद कारण के पैरे का उल्लेख किया है इसलिये बिनाय दावे के अभाव में प्रतिवादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिदावा दो प्रतियों में प्रस्तुत नहीं किये जाने से भी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा खारिज किये जाने योग्य है।

प्रस्तुत वाद पत्र व जबाब दावा, एवं काउण्टर वाद एवं जवाब काउण्टर वाद के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया वादग्रस्थ कृषि भूमि वादीगण घीसीदेवी, दाकुदेवी, हेमीदेवी स्व. चुन्नाराम जी पुत्र बालुराम के प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारीगण है।

जिम्मे वादीगण

2. आया वादग्रस्थ कृषि भूमि वादीगण के पिता स्व0 चुन्नाराम जी पुत्र बालुराम जी की हक हकुक खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि थी।

जिम्मे वादीगण

3. आया वादीगण के पिता स्व0 चुन्नाराम पुत्र बालुराम की निर्वीसयती स्वर्गवास हो जाने के वादीगण चुन्नाराम जी के प्रथम श्रेणी के विधिक उत्तराधिकारीगण होने से वादग्रस्थ कृषि भूमि व बेरे भाग (अ) व भाग (ब) में वादीगण का 1/5 हिस्सा खातेदारी का तथा भाग (स) में वादीगण का 3/20 हक हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है।

जिम्मे वादीगण

4. आया वादग्रस्थ कृषि भूमि वादीगण के पिता स्व0 चुन्नाराम जी हक हकुक खातेदारी की कृषि भूमि होने से वादीगण का उपरोक्त कृषि भूमि में हक हिस्सा निहीत हो जाने से वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

जिम्मे वादीगण

5. आया वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि (अ), (ब) अपना 1/5 वॉ हिस्सा तथा भाग (स) में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण अपना 3/20 वॉ हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स द्वारा बंटवाडा करवाने तथा बटी भूमि का वादीगण अलग से कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

जिम्मे वादीगण

6. आया वादस्थ कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 का 50 वर्षो से लगातार निरन्तर, शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त होने से प्रतिवादी बाई लॉ एडवर्स पजेशन से वादग्रस्थ आराजीयात का मालिक हो जाने से वादीगण अपने मालिकाना हक खो चूके है।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 6

7. आया वादग्रस्थ कृषि भूमि पर चुन्नाराम जी की मृत्यु के पश्चात् आज दिन तक वादीगण का वादग्रस्थ आराजीयात पर कब्जा काश्त नहीं होने से वादीगण को प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद्व वाद प्रस्तुत करने का वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से वाद खारीज किये जाने के योग्य है।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 6

8. आया यह है कि वादीगण द्वारा 50 वर्षो के लम्बे समय के बाद खातेदारी घोषणा, बंटवाडा, स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी प्रतिवादी के विरूद्व पाने का अधिकारी नहीं है।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 6

9. आया प्रतिवादी वादग्रस्थ कृषि भूमि के रेकर्डेड खातेदार व मौके पर काबिज होने से वादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

जिम्मे प्रतिवादी

10. आया प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा 2 प्रतियो में प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रतिदावा खारिज किये जाने योग्य है।

जिम्मे वादीगण

11. आया प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावे में वादीगण के विरूद्व वाद का कारण उत्पन्न होने का अंकन नही होने से प्रतिवादी का प्रतिदावा खारिज किये जाने योग्य है।

जिम्मे वादीगण

अधिवक्ता वादी द्वारा शहादत वादी में पीडब्लू – वन दाखुदेवी, पीडब्लू – 2 हेमीदेवी, पीडब्लू – 3 रामचन्द्र, पीडब्लू – 4 सोहनलाल, पीडब्लू – 5 बाबुलाल के तस्दीक सुदा शपथ पत्र पेश किये एवं बयान कलमबद्व करवाये जाकर दस्तावेजो को प्रदर्शित करवाया गया। अधिवक्ता वादी ने शहादत वादी में जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 की प्रमाणित प्रति पेश की, जो प्रदर्श – 1 है, जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 की प्रमाणित प्रति पेश की, जो प्रदर्श – 2 है, वादस्थ कृषि भूमि की जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 की प्रमाणित प्रति पेश की, जो प्रदर्श – 3 है, एवं जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 की प्रमाणित प्रति पेश की, जो प्रदर्श – 4 है, खसरा मिलान वादस्थ भूमि का प्रदर्श – 5 है जिसमें कुल 44 पृष्ठ है, मिसल बन्दोबस्त की प्रमाणित प्रति प्रदर्श – 6 है, मिसल बन्दोबस्त के पृष्ठ संख्या 434 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श – 7 है। बयान में दाखु देवी द्वारा बताया गया की वादस्थ कृषि भूमि मेरे पिता चुन्नाराम की खातेदारी काश्त की कृषि भूमि है जिनकी मैं जाइन्दा पुत्री हूँ। मेरे अलावा मेरे बहिन हेमी देवी व घीसीदेवी है। घीसीदेवी का देहान्त हो चूका है। मेरे पिता ने अपने जीवनकाल में उक्त कृषि भूमि का बेचान, हस्तानान्तरण, बक्सीस इत्यादि नहीं की है और ना ही कोई वसीयत की है। पिता के स्वर्गवास के पश्चात् मेरा 1/5 वॉ हिस्सा आता है। इसी प्रकार अन्य गवाहो के बयानो को भी कलमबद्व किया गया। जिरह प्रतिवादी शून्य रही। पर्याप्त अवसर के बावजूद शहादत प्रतिवादी पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर शहादत प्रतिवादी बंद की गई।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस व्यक्त किया कि वादस्थ भूमि भाग (अ) व भाग (ब) वर्णित कृषि भूमि व बेरों में चुनीया उर्फ चुनाराम का एक बट्टा तीन हिस्सा खातेदारी का था व भाग (स) में वर्णित कृषि भूमि व बेरे में चुनाराम का एक बट्टा चार हिस्सा खातेदारी का था। चुनाराम की मृत्यु हुई तब उसके प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारीगण में उसकी पुत्रीया, घीसीदेवी, दाखुदेवी व हेमीदेवी जो वादीगण है मौजूद थी व प्रतिवादी संख्या पांच नारीया व प्रतिवादी संख्या छः आईदान चुनाराम के पुत्र है। चुनाराम की मृत्यु होते ही उसके हिस्से की कृषि भूमि में केसरीदेवी का एक बट्टा छः हिस्सा वादीगण प्रत्येक का व प्रतिवादी संख्या पांच व छः का प्रत्येक का एक बट्टा छः हिस्सा खातेदारी का निहित हुआ। केसरीदेवी की भी मृत्यु होते ही उसका भी वादीगण व प्रतिवादी संख्या पांच व छः

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

में निहित हुआ। जिससे वादग्रस्त भूमि में चुनाराम का जो हिस्सा था उसमें वादीगण प्रत्येक का एक बट्टा पांच हिस्सा हक हकुक खातेदारी का हुआ व प्रतिवादी संख्या पांच व छः प्रत्येक का एक बट्टा पांच हिस्सा खातेदारी का हुआ। इस प्रकार भाग (अ) व (ब) में सम्पूर्ण वर्णित कृषि भूमि में चुनाराम का एक बट्टा तीन हिस्सा खातेदारी का था जिससे भाग (अ) व (ब) की भूमि में वादीगण प्रत्येक का एक बट्टा पन्द्रह हिस्सा यानि वादग्रस्त कृषि भूमि भाग (अ) व (ब) में वादीगण का एक बट्टा पांच हिस्सा खातेदारी का है प्रतिवादी संख्या पांच व छः का भाग (अ) व (ब) की भूमि में कुल दो बट्टा पन्द्रह हिस्सा खातेदारी का था। भाग (स) की भूमि मे चुनाराम का एक बट्टा चार हिस्सा खातेदारी का था जिससे वादीगण प्रत्येक का एक बट्टा बीस हिस्सा अर्थात् तीनों वादीगण का तीन बट्टा बीस हिस्सा खातेदारी विधि अनुरूप बनता है। जिससे वादीगण घीसीदेवी, दाकुदेवी व हेमीदेवी को 1/5–1/5 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की ईश्दुआ की है। जबाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी ने व्यक्त किया कि अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रतिवादी संख्या 06 आईदान पुत्र चुन्नाराम की ओर से जवाब दावा मय मुजराई दावा पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा सोजत चक एक में अवश्य आई हुई है। वादग्रस्त आराजी के भाग "अ" में वर्णित आराजी में प्रतिवादी नाहरिया व आईदान का 1/4 हक हिस्सा है तथा भाग "ब" में वर्णित आराजी में प्रतिवादी नाहरिया व आईदान का 1/3 हक हिस्सा है तथा भाग "स" में वर्णित आराजी में प्रतिवादी नाहरिया व आईदान का 1/4 हक हिस्सा है। वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादीगण व प्रतिवादी नाहरिया व आईदान के पिता चुन्नाराम का स्वर्गवास आज से करीब 53 वर्ष पूर्व हुआ है। तब से लेकर आज तब वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादीगण की शांदिया होने के बाद से लगातार वो अपने ससुराल में निवास करती है। वादीगण का कब्जा काश्त नही है। न ही वादीगण खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी है लिहाजा वादी का वाद खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

वस्तुतः उक्त वाद प्रकरण में कायम की गई तनकीयात का प्रस्तुत वाद पत्र के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत जबाब दावा, काउण्टरवाद, साक्ष्य सबूतों के दस्तावेजात, गवाहान के मुख्य परीक्षण पर लिये गये बयानात एवं स्वतंत्र गवाहो के बयानात के आधार पर बाद विवेचन/विश्लेषण कर तनकीवार विनिश्चय निम्नांकित रूप से किया जाता है–

प्रस्तुत वाद पत्र व जबाब दावा, एवं काउण्टर वाद एवं जवाब काउण्टर वाद के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया वादग्रस्थ कृषि भूमि वादीगण घीसीदेवी, दाकुदेवी, हेमीदेवी स्व. चुन्नाराम जी पुत्र बालुराम के प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारीगण है।

जिम्मे वादीगण

अधिवक्तादी वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तोजी साक्ष्य खसरा मिलान प्रदर्श–5, जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2025 प्रदर्श– 4, जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2024 प्रदर्श–1 से स्पष्ट है कि वादस्थ भूमि में वादीगण के पिता चुनाराम का हक हिस्सा निहित था तथा जबाब दावा में एडमिशन फैक्ट से स्पष्ट है कि घीसीदेवी दाखूदेवी व हेमीदेवी चुनाराम की पुत्रीया थी। जिससे

सोजत (राज.)

हिन्दु उतराधिकारी एक्ट के तहत उक्त घीसीदेवी, दाकुदेवी व हेमीदेवी चुन्नाराम के प्रथम श्रेणी उत्तराधिकरी है। लिहाजा तनकी संख्या 01 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

2. आया वादग्रस्थ कृषि भूमि वादीगण के पिता स्व0 चुन्नाराम जी पुत्र बालुराम जी की हक हकुक खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि थी।

जिम्मे वादीगण

अधिवक्तादी वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तोजी साक्ष्य खसरा मिलान प्रदर्श–5, जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2025 प्रदर्श– 4, जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2024 प्रदर्श–1, जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2025 प्रदर्श– 2, 3, खतौनी बन्दोरस्त प्रदर्श– 6, 7 से स्पष्ट है कि वादस्थ भूमि में वादीगण के पिता चुनाराम का नाम दर्ज था तथा चुनाराम रेकर्डेड खातेदार दर्ज है। जिससे तनकी संख्या 02 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

3. आया वादीगण के पिता स्व0 चुन्नाराम पुत्र बालुराम की निर्वीसयती स्वर्गवास हो जाने के वादीगण चुन्नाराम जी के प्रथम श्रेणी के विधिक उत्तराधिकारीगण होने से वादग्रस्थ कृषि भूमि व बेरे भाग (अ) व भाग (ब) में वादीगण का 1/5 हिस्सा खातेदारी का तथा भाग (स) में वादीगण का 3/20 हक हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है।

जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 01 से स्पष्ट हो गया है घीसीदेवी, दाकुदेवी व हेमीदेवी फौत चुनाराम के प्रथम श्रेणी उतराधीकारी है। वादस्थ भूमि भाग (अ) व भाग (ब) वर्णित कृषि भूमि व बेरों में चुनीया उर्फ चुनाराम का एक बट्टा तीन हिस्सा खातेदारी का था व भाग (स) में वर्णित कृषि भूमि व बेरे में चुनाराम का एक बट्टा चार हिस्सा खातेदारी का था। चुनाराम की मृत्यु हुई तब उसके प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारीगण में उसकी पुत्रीया, घीसीदेवी, दाखुदेवी व हेमीदेवी जो वादीगण है मौजूद थी व प्रतिवादी संख्या पांच नारीया व प्रतिवादी संख्या छः आईदान चुनाराम के पुत्र है। चुनाराम की मृत्यु होते ही उसके हिस्से की कृषि भूमि में केसरीदेवी का एक बट्टा छः हिस्सा वादीगण प्रत्येक का व प्रतिवादी संख्या पांच व छः का प्रत्येक का एक बट्टा छः हिस्सा खातेदारी का निहित हुआ। केसरीदेवी की भी मृत्यु होते ही उसका भी वादीगण व प्रतिवादी संख्या पांच व छः में निहित हुआ। जिससे वादग्रस्त भूमि में चुनाराम का जो हिस्सा था उसमें वादीगण प्रत्येक का एक बट्टा पांच हिस्सा हक हकुक खातेदारी का हुआ व प्रतिवादी संख्या पांच व छः प्रत्येक का एक बट्टा पांच हिस्सा खातेदारी का हुआ। इस प्रकार भाग (अ) व (ब) में सम्पूर्ण वर्णित कृषि भूमि में चुनाराम का एक बट्टा तीन हिस्सा खातेदारी का था जिससे भाग (अ) व (ब) की भूमि में वादीगण प्रत्येक का एक बट्टा पन्द्रह हिस्सा यानि वादग्रस्त कृषि भूमि भाग (अ) व (ब) में वादीगण का एक बट्टा पांच हिस्सा खातेदारी का है प्रतिवादी संख्या पांच व छः का भाग (अ) व (ब) की भूमि में कुल दो बट्टा पन्द्रह हिस्सा खातेदारी का था। भाग (स) की भूमि मे चुनाराम का एक बट्टा चार हिस्सा खातेदारी का था जिससे वादीगण प्रत्येक का एक बट्टा बीस हिस्सा अर्थात् तीनों वादीगण का तीन बट्टा बीस हिस्सा खातेदारी विधि अनुरूप बनता है। लिहाजा तनकी संख्या 03 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

4. आया वादग्रस्थ कृषि भूमि वादीगण के पिता स्व0 चुन्नाराम जी हक हकुक खातेदारी की कृषि भूमि होने से वादीगण का उपरोक्त कृषि भूमि में हक हिस्सा निहीत हो जाने से वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

जिम्मे वादीगण

वादी द्वारा इस विवादक के संदर्भ में प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने से यह प्रमाणित है कि वादीगण का वादस्थ भूमि में नोशनल शेयर आता है। जो इस न्यायालय द्वारा पूर्व के विवादक से पुख्ता होते है जिसके संबंध में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द्व किये जाने बाबत पुख्ता साक्ष्य पत्रावली में मौजूद है। जिसे अनुसार उक्त विवादक वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय किया जाता है।

5. आया वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि (अ), (ब) अपना 1/5 वॉ हिस्सा तथा भाग (स) में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण अपना 3/20 वॉ हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स द्वारा बंटवाडा करवाने तथा बटी भूमि का वादीगण अलग से कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

जिम्मे वादीगण

वादीगण द्वारा धारा 53 की हद तक वाद जरिये विड्रोल खारिज हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है। लिहाजा तनकी संख्या 05 को विवेचित करने की आवश्यकता नही है।

6. आया वादस्थ कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 का 50 वर्षो से लगातार निरन्तर, शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त होने से प्रतिवादी बाई लॉ एडवर्स पजेशन से वादग्रस्थ आराजीयात का मालिक हो जाने से वादीगण अपने मालिकाना हक खो चूके है।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 6

अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में अपनी प्रतिरक्षा व जबाब दावा के समर्थन में किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य व बयानात नही करवाये है। लिहाजा तनकी संख्या 06 विरूद्व प्रतिवादी बहक वादी तय की जाती है।

7. आया वादग्रस्थ कृषि भूमि पर चुन्नाराम जी की मृत्यु के पश्चात् आज दिन तक वादीगण का वादग्रस्थ आराजीयात पर कब्जा काश्त नहीं होने से वादीगण को प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद्व वाद प्रस्तुत करने का वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से वाद खारीज किये जाने के योग्य है।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 6

अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में अपनी प्रतिरक्षा व जबाब दावा के समर्थन में किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य व बयानात नही करवाये है। लिहाजा तनकी संख्या 06 विरूद्व प्रतिवादी बहक वादी तय की जाती है।

सोजत (राज.)

8. आया यह है कि वादीगण द्वारा 50 वर्षो के लम्बे समय के बाद खातेदारी घोषणा, बंटवाडा, स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रतिवादी के विरूद्व पाने का अधिकारी नहीं है।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 6

वादीगण द्वारा धारा 53 की हद तक वाद जरिये विड्रोल खारिज हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है, जिससे बंटवाड़ा की तनकी को विवेचित करने की आवश्यकता नहीं है तथा खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में पूर्व में कायम विवाद्यक द्वारा विवेचित किया जा चुका हैं।

9. आया प्रतिवादी वादग्रस्थ कृषि भूमि के रेकर्डेड खातेदार व मौके पर काबिज होने से वादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

जिम्मे प्रतिवादी

अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में अपनी प्रतिरक्षा व जबाब दावा के समर्थन में किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य व बयानात नही करवाये है। लिहाजा तनकी संख्या 09 विरूद्व प्रतिवादी बहक वादी तय की जाती है।

10. आया प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा 2 प्रतियो में प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रतिदावा खारिज किये जाने योग्य है।

जिम्मे वादीगण

प्रकरण में वादी को प्रतिदावा की प्रति उपलब्ध करवाई जा चुकी है। और प्रतिदावा का जबाब भी पेश हो चुका है। लिहाजा तनकी संख्या 10 बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी तय की जाती है।

11. आया प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावे में वादीगण के विरूद्व वाद का कारण उत्पन्न होने का अंकन नही होने से प्रतिवादी का प्रतिदावा खारिज किये जाने योग्य है।

जिम्मे वादीगण

प्रतिवादी द्वारा अपने मुजराई दावा में किसी प्रकार का वाद कारण का कोई अंकन नहीं किया जाना स्पष्ट है जो कि किसी भी वाद में उल्लेखित किया जाना आवश्यक है। वाद कारण के अभाव में प्रतिदावा रेसजुडिकेटा की श्रेणी आने से प्रतिवादी का प्रतिदावा में वाद कारण का अभाव पाया गया है। लिहाजा तनकी संख्या 11 बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी तय की जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद पत्र, जबाब दावा मय मुजराई दावा जबाब मुजराई दावा, फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गोर कर मनन किया गया। वादस्थ भूमि अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तोजी साक्ष्य खसरा मिलान प्रदर्श–5, जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2025 प्रदर्श– 4, जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2024 प्रदर्श–1, जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2025 प्रदर्श– 2, 3, खतौनी बन्दोस्त प्रदर्श– 6, 7 से स्पष्ट है कि वादस्थ भूमि में वादीगण के पिता चुनाराम का नाम दर्ज था तथा चुनाराम रेकर्डेड खातेदार दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तोजी साक्ष्य खसरा मिलान प्रदर्श–5, जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2025

प्रदर्श– 4, जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2024 प्रदर्श–1 से स्पष्ट है कि वादस्थ भूमि में वादीगण के पिता चुनाराम का हक हिस्सा निहित था तथा जबाब दावा में एडमिशन फैक्ट से स्पष्ट है कि घीसीदेवी दाखूदेवी व हेमीदेवी चुनाराम की पुत्रीया थी। जिससे हिन्दु उतराधिकारी एक्ट के तहत उक्त घीसीदेवी, दाकुदेवी व हेमीदेवी चुन्नाराम के प्रथम श्रेणी उत्तराधिकरी है। घीसीदेवी, दाकुदेवी व हेमीदेवी फौत चुनाराम के प्रथम श्रेणी उतराधीकारी है। वादस्थ भूमि भाग (अ) व भाग (ब) वर्णित कृषि भूमि व बेरों में चुनीया उर्फ चुनाराम का एक बट्टा तीन हिस्सा खातेदारी का था व भाग (स) में वर्णित कृषि भूमि व बेरे में चुनाराम का एक बट्टा चार हिस्सा खातेदारी का था। चुनाराम की मृत्यु हुई तब उसके प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारीगण में उसकी पुत्रीया, घीसीदेवी, दाखुदेवी व हेमीदेवी जो वादीगण है मौजूद थी व प्रतिवादी संख्या पांच नारीया व प्रतिवादी संख्या छः आईदान चुनाराम के पुत्र है। चुनाराम की मृत्यु होते ही उसके हिस्से की कृषि भूमि में केसरीदेवी का एक बट्टा छः हिस्सा वादीगण प्रत्येक का व प्रतिवादी संख्या पांच व छः का प्रत्येक का एक बट्टा छः हिस्सा खातेदारी का निहित हुआ। केसरीदेवी की भी मृत्यु होते ही उसका भी वादीगण व प्रतिवादी संख्या पांच व छः में निहित हुआ। जिससे वादग्रस्त भूमि में चुनाराम का जो हिस्सा था उसमें वादीगण प्रत्येक का एक बट्टा पांच हिस्सा हक हकुक खातेदारी का हुआ व प्रतिवादी संख्या पांच व छः प्रत्येक का एक बट्टा पांच हिस्सा खातेदारी का हुआ। इस प्रकार भाग (अ) व (ब) में सम्पूर्ण वर्णित कृषि भूमि में चुनाराम का एक बट्टा तीन हिस्सा खातेदारी का था जिससे भाग (अ) व (ब) की भूमि में वादीगण प्रत्येक का एक बट्टा पन्द्रह हिस्सा यानि वादग्रस्त कृषि भूमि भाग (अ) व (ब) में वादीगण का एक बट्टा पांच हिस्सा खातेदारी का है प्रतिवादी संख्या पांच व छः का भाग (अ) व (ब) की भूमि में कुल दो बट्टा पन्द्रह हिस्सा खातेदारी का था। जिससे सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तह0 सोजत के, भाग (अ) खसरा नंबर 2157 रकबा 0.0600 है0, ख0नं0 2158 रकबा 0.1500 है0, खसरा नंबर 2159 रकबा 0.2000 है0, खसरा नंबर 2160 रकबा 0.1200 है0, खसरा नंबर 2161 रकबा 0.0700 है0, खसरा नंबर 2162 रकबा 0.0900 है0, खसरा नंबर 2163 रकबा 0.1400 है0, खसरा नंबर 2164 रकबा 0.1300 है0, खसरा नंबर 2165 रकबा 0.1000 है0, खसरा नंबर 2166 रकबा 0.2000 है0, खसरा नंबर 2167 रकबा 0.0800 है0, खसरा नंबर 2212 रकबा 0.1200 है0, खसरा नंबर 2213 रकबा 0.0200 है0 कुल खसरा 13 कुल रकबा 1.4800 है0 भाग (ब) खसरा नंबर 2149 रकबा 0.2200 है0, खसरा नंबर 2153 रकबा 0.3700 है0, खसरा नंबर 2154 रकबा 0.2100 है0, खसरा नंबर 2155 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 2156 रकबा 0.1900 है0, खसरा नंबर 2204 रकबा 0.1800 है0, खसरा नंबर 2205 रकबा 0.1500 है0, खसरा नंबर 2150 रकबा 0.0200 है0, खसरा नंबर 2151 रकबा 0.0700 है0, खसरा नंबर 2152 रकबा 0.0200 है0 कुल खसरा 10 कुल रकबा 1.46 है0, में फौत वादीया घीसी के के विधिक वारिसान वादी 1/1 रामचन्द्र, 1/2/1 सतीया, 1/2/2 अशोक, 1/2/3 मंजू, 1/2/4 सोनू , 1/2/5 कौशल्या का 1/15 हिस्सा, वादी संख्या 02 का 1/15 हिस्सा व वादीया 03 का 1/15 हिस्सा तथा भाग (स) खसरा नंबर 2253 रकबा 0.3200 है0, खसरा नंबर 2254 रकबा 0.1000 है0, खसरा नंबर 2255 रकबा 0.0600 है0, खसरा नंबर 2256 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 2257

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 2258 रकबा 0.0900 है0, खसरा नंबर 2259 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 2260 रकबा 0.0600 है0, खसरा नंबर 2261 रकबा 0.0600 है0, खसरा नंबर 2262 रकबा 0.0900 है0, खसरा नंबर 2263 रकबा 0.2000 है0, खसरा नंबर 2264 रकबा 0.2600 है0, खसरा नंबर 2265 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 2266 रकबा 0.1000 है0, खसरा नंबर 2269 रकबा 0.1300 है0, खसरा नंबर 2270 रकबा 0.3300 है0, खसरा नंबर 2271 रकबा 0.3000 है0, खसरा नंबर 2272 रकबा 0.1400 है0, खसरा नंबर 2273 रकबा 0.2600 है0, खसरा नंबर 2274 रकबा 0.2600 है0, खसरा नंबर 2275 रकबा 0.0800 है0, खसरा नंबर 2276 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 2277 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 2278 रकबा 0.0900 है0, खसरा नंबर 2279 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 2280 रकबा 0.2900 है0, खसरा नंबर 2267 रकबा 0.0300 है0, खसरा नंबर 2268 रकबा 0.1800 है0 कुल खसरा 28 कुल रकबा 3.78 है0 की कृषि भूमि में फौत वादीया घीसी देवी के विधिक वारिसान वादी 1/1 रामचन्द्र, 1/2/1 सतीया, 1/2/2 अशोक, 1/2/3 मंजू, 1/2/4 सोनू , 1/2/5 कौशल्या का 1/20, वादीया दाकुदेवी को 1/20 व हेमी देवी को 1/20 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि वादी द्वारा धारा 53 आरटीएक्ट की हद तक वाद जरिये विड्रोल खारिज किये का का प्रार्थना पत्र पेश से वादी का वाद धारा 53 की हद तक खारिज किया जाता है तथा सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तह0 सोजत के, भाग (अ) खसरा नंबर 2157 रकबा 0.0600 है0, ख0नं0 2158 रकबा 0.1500 है0, खसरा नंबर 2159 रकबा 0.2000 है0, खसरा नंबर 2160 रकबा 0.1200 है0, खसरा नंबर 2161 रकबा 0.0700 है0, खसरा नंबर 2162 रकबा 0.0900 है0, खसरा नंबर 2163 रकबा 0.1400 है0, खसरा नंबर 2164 रकबा 0.1300 है0, खसरा नंबर 2165 रकबा 0.1000 है0, खसरा नंबर 2166 रकबा 0.2000 है0, खसरा नंबर 2167 रकबा 0.0800 है0, खसरा नंबर 2212 रकबा 0.1200 है0, खसरा नंबर 2213 रकबा 0.0200 है0 कुल खसरा 13 कुल रकबा 1.4800 है0 भाग (ब) खसरा नंबर 2149 रकबा 0.2200 है0, खसरा नंबर 2153 रकबा 0.3700 है0, खसरा नंबर 2154 रकबा 0.2100 है0, खसरा नंबर 2155 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 2156 रकबा 0.1900 है0, खसरा नंबर 2204 रकबा 0.1800 है0, खसरा नंबर 2205 रकबा 0.1500 है0, खसरा नंबर 2150 रकबा 0.0200 है0, खसरा नंबर 2151 रकबा 0.0700 है0, खसरा नंबर 2152 रकबा 0.0200 है0 कुल खसरा 10 कुल रकबा 1.46 है0, में फौत वादीया घीसी के के विधिक वारिसान वादी 1/1 रामचन्द्र, 1/2/1 सतीया, 1/2/2 अशोक, 1/2/3 मंजू, 1/2/4 सोनू , 1/2/5 कौशल्या का 1/15 हिस्सा, वादी संख्या 02 का 1/15 हिस्सा व वादीया 03 का 1/15 हिस्सा तथा भाग (स) खसरा नंबर 2253 रकबा 0.3200 है0, खसरा नंबर 2254 रकबा 0.1000 है0, खसरा नंबर 2255 रकबा 0.0600 है0, खसरा नंबर 2256 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 2257 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 2258 रकबा 0.0900 है0, खसरा

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

नंबर 2259 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 2260 रकबा 0.0600 है0, खसरा नंबर 2261 रकबा 0.0600 है0, खसरा नंबर 2262 रकबा 0.0900 है0, खसरा नंबर 2263 रकबा 0.2000 है0, खसरा नंबर 2264 रकबा 0.2600 है0, खसरा नंबर 2265 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 2266 रकबा 0.1000 है0, खसरा नंबर 2269 रकबा 0.1300 है0, खसरा नंबर 2270 रकबा 0.3300 है0, खसरा नंबर 2271 रकबा 0.3000 है0, खसरा नंबर 2272 रकबा 0.1400 है0, खसरा नंबर 2273 रकबा 0.2600 है0, खसरा नंबर 2274 रकबा 0.2600 है0, खसरा नंबर 2275 रकबा 0.0800 है0, खसरा नंबर 2276 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 2277 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 2278 रकबा 0.0900 है0, खसरा नंबर 2279 रकबा 0.0500 है0, खसरा नंबर 2280 रकबा 0.2900 है0, खसरा नंबर 2267 रकबा 0.0300 है0, खसरा नंबर 2268 रकबा 0.1800 है0 कुल खसरा 28 कुल रकबा 3.78 है0 की कृषि भूमि में फौत वादीया घीसी के के विधिक वारिसान वादी 1/1 रामचन्द्र, 1/2/1 सतीया, 1/2/2 अशोक, 1/2/3 मंजू, 1/2/4 सोनू , 1/2/5 कौशल्या का 1/20, वादीया दाकुदेवी का 1/20 व हेमी देवी का 1/20 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 30/10/2025 को सरे ईजलासं मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत